



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2025—आश्विन 21, शक 1947

#### लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

क्र. 0765-2025-सत्रह-मेडि. 1.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 69 के उपनियम (1), नियम 90 के उपनियम (1) तथा नियम 150-ख के उपनियम (1) एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के अध्याय दो द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग सात एवं आठ और प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के अध्याय चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग पंद्रह (क) एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के अध्याय आठ के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन और अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

1. श्री राजेश जीनवाल, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक.
2. श्री धर्मेश बिगोनिया, औषधि निरीक्षक.

No. 0765-2025-XVII-M-1.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 69, sub-rule (1) of rule 90 and sub-rule (1) of rule 150-B of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and Chapter II of the Cosmetics Rules, 2020, the State Government, hereby, appoints the following Officers of the Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be the Licensing Authority for the purposes of Part VII and VIII of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and Chapter IV of the Cosmetics Rules, 2020 and Licensing and Approving Authority for the purposes of Part XV(A) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and Chapter VIII of the Cosmetics Rules, 2020, namely:-

1. Shri Rajesh Jinwal, Senior Drugs Inspector.
2. Shri Dharmesh Bigoniya, Drugs Inspector.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मलिका निगम नागर, उपसचिव.